



2026:AHC:56981

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 11061 वर्ष 2026

मोहम्मद रेहान उर्फ मोहम्मद सादिकआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी गण

आवेदक के अधिवक्ता: अमित कुमार चौहान

विपक्षी गण के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. अपीलकर्ता की ओर से श्री एस.के. तिवारी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और तर्क दिया कि बलात्कार की प्राथमिकी पीड़िता के चाचा द्वारा दर्ज कराई गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने स्वयं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए अपने बयान में कहा है कि वह अभियुक्त-आवेदक से प्यार करती है। उन्होंने न्यायालय का ध्यान पक्षों के बीच हुए समझौते की ओर आकर्षित किया, जो इस आवेदन के पृष्ठ संख्या 62 पर है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उस समझौते में यह खुलासा किया गया है कि अभियुक्त-आवेदक और पीड़िता के बीच निकाहनामा 10.9.2025 को संपन्न हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में पीड़िता, सूचना देने वाला और अभियुक्त आपराधिक मामले को जारी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वे वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि समझौता विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया क्योंकि यह अपराध शमन योग्य नहीं है। इसलिए, वह समझौते के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, विशेष सत्र विचारण संख्या 145 वर्ष 2024 (राज्य बनाम मोहम्मद

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रेहान उर्फ मोहम्मद सादिक), जो केस क्राइम संख्या 141 वर्ष 2023, अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. और 3/4 पोक्सो एक्ट, थाना शाहगंज, जिला जौनपुर से उत्पन्न हुआ है और अपर सत्र न्यायाधीश/पोक्सो-I जौनपुर के न्यायालय में लंबित है, की आरोप पत्र दिनांक 09.05.2024, संज्ञान आदेश दिनांक 10.07.2024 और संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

2. विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सूचना देने वाला/पीड़िता स्वयं समझौते के लेखक हैं।
3. विपक्षी संख्या 3 और 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
4. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई यदि पक्षकार दी गई परिस्थितियों में समझौता दाखिल करने के लिए विचारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं।
5. सर्वोच्च न्यायालय ने 'मफत लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2022) 6 एससीसी 589' के मामले में अभियुक्त और पीड़िता के विवाह पर विचार करते हुए धारा 363, 366 आई.पी.सी. के तहत प्राथमिकी और परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया था।
6. यहाँ तक कि पोक्सो एक्ट के मामलों में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने 'के. दंडपाणि बनाम राज्य (पुलिस निरीक्षक के माध्यम से) (2022 एससीसी आनलाइन एससी 1056)' के मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा (जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था) को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियुक्त और पीड़िता अपने वैवाहिक जीवन में खुशी-खुशी रह रहे हैं और यह माना कि "यह न्यायालय जमीनी हकीकत से अपनी आँखें नहीं मूंद सकता और अपीलकर्ता व पीड़िता के सुखी पारिवारिक जीवन में खलल नहीं डाल सकता।"
7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह एक स्वीकृत तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त और पीड़िता विवाहित हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों को उपरोक्त निर्णयों के आलोक में देखा जाना चाहिए।
8. पक्षकारों (सूचना देने वाला, पीड़िता और अभियुक्त) के बीच समझौता हुआ है या नहीं, इसका निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ऐसे में, पक्षकार तीस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उनके बीच हुए समझौते को दाखिल कर सकते हैं, जिसका सत्यापन विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। विचारण न्यायालय मूल प्रति को अपने रिकॉर्ड में रखेगा।

9. विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी समझौते पर विचार नहीं किया जाएगा यदि सूचना देने वाला, पीड़िता और अभियुक्त हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं और इसके सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। किसी आपात स्थिति में, विचारण न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।
10. यदि निर्धारित अवधि के भीतर समझौता दाखिल और सत्यापित किया जाता है, तो दो महीने की अवधि के लिए विचारण न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी, अन्यथा विचारण न्यायालय विचारण जारी रखेगा।
11. वे सभी पक्षकार जो समझौता दाखिल करते हैं और उसका सत्यापन कराते हैं, वे फिर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए एक संयुक्त आवेदन दाखिल करेंगे।
12. उपरोक्त के आलोक में, धारा 528 बी.एन.एस.एस./482 सी.आर.पी.सी. के तहत आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

(अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

शिवांगी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।